बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक-\$608125 संख्या—09 / न०वि०मा०प्ला०(राष्ट्रीय मार्ग)—01 / 2025

बिहार भवन उपविधि, 2014 (संशोधित-2025) के उपविधि-88 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार भवन उपविधि, 2014 (संशोधित-2025) में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ (i) यह उपविधि बिहार भवन (संशोधन) उपविधि, 2025 कही जा सकेगी।
- यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा। (ii)
- बिहार भवन उपविधि, 2014 (संशोधित, 2025) की उपविधि 66(3) को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है:-
 - 66.(3) भूखंड का न्यूनतम आकार :
 - (क) मात्र फिलिंग स्टेशन के लिए 20 मीटर x 20 मीटर (भुखंड का अग्र–भाग 20 मीटर से कम नहीं होगा)
 - (ख) फिलिंग-सह-सर्विस स्टेशन 40 मीटर x 30 मीटर (भूखंड का अग्र-भाग 30 मीटर से कम नहीं होगा)
- बिहार भवन उपविधि, 2014 (संशोधित-2025) के शेष प्रावधान यथावत प्रभावी रहेंगे। 3.

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/− (राजीव कुमार श्रीवास्तव) अपर सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-09 / न०वि०मा०प्ला०(राष्ट्रीय मार्ग)-01 / 2025...... न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक-...... प्रतिलिपि-अधीक्षकं, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना / ई-गजट कोषांग वित्त विभाग, पटना (सी०डी० के साथ) को बिहार गजट में अतिरिक्त प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि प्रकाशित गजट के 200 कॉपी कार्यालय उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाय।

ह०/-अपर सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक-09/न०वि॰मा॰प्ला॰(राष्ट्रीय मार्ग)-01/2025...... न०वि॰ एवं आ०वि॰, पटना, दिनांक-...... ०४/२९, प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी / अध्यक्ष, बिहार भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, पटना /

अध्यक्ष, भू—सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, बिहार, पटना/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं सभी नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सभी आयोजना क्षेत्र प्राधिकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग

Government of Bihar <u>Urban Development and Housing Department</u> Notification

No.- 09/न०वि०मा०प्ला०(राष्ट्रीय मार्ग)-01/2025 8600 UD&HD, Date-06181

In exercise of the powers conferred by Section 88 of Bihar Building (Amendment) Byelaws, 2025 the following amendments are made:-

- 1. Short Title, Extent and Commencement-
 - (i) These byelaws may be called Bihar Building (Amendment) Byelaws, 2025.
 - (ii) It shall come into force from the date of its publication in the Gazette.
- 2. In Bihar Building Byelaws 2014 (Amendment 2025) Byelaws No.-66, clause (3) is substituted as follows:-
 - 66. Petrol Pump-
 - (3) Plot Size:
 - A. Only for filling stations- 20m (Frontage) x 20m (Depth)

(Frontage of the plot shall not be less than 20m)

B. Filling-cum-service station- 30m (Frontage) x 40m (Depth)

(Frontage of the plot shall not be less than 30m)

3. Rest provisions of Bihar Building (Amendment) Byelaws, 2025 shall remain as it is.

By Order of the Governor of Bihar

Sd/-

(Rajiv Kumar Shrivastav)

Additional Secretary

Urban Development and Housing Department

Memo No-09 / न०वि०मा०प्ला० (राष्ट्रीय मार्ग)-01 / 2025 UD&HD, Date - .

Copy to-The Suprintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna/ E-Gazette Cell, Finance Department, Patna (with CD) for information regarding extra publication and it is requested to make available 200 copies of Published Gazette for office use.

Sd/-

Additional Secretary

Urban Development and Housing Department

8600

Memo No-09 / न०वि०मा० प्ला० (राष्ट्रीय मार्ग) – 01 / 2025 UD&HD, Date रें

Copy to-Chief Secretary, Bihar/Development Commissioner, Bihar/Principal Secretary to Honourable Chief Minister/ All Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary/ All Divisional Commissioner/ All District Magistrates/ Chairman, Bihar Real Estate Appellate Tribunal, Patna/ Chairman, Real Estate Regulation Authority, Bihar, Patna/ Municipal Commissioner of All Municipal Corporations/ Executive Officer of All Municipal Council and All Nagar Panchayat/ Chief Executive Officer, All Planning Area Authority for information and necessary action.

Additional Secretary

Urban Development and Housing Department